

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का उरुआ बनाम वीराविदेसो मनोदरी जार

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

शनीता

प्रकरण संख्या :- RA/37/22

निर्णय दिनांक :- 14/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शनीता की आ.ख.न. 125 कुल रकबा 0-68 किस्म जमीन जैफु में से 0.02 रकबे पर श्री वीराविदेसो मनोदरी जार पर अनाधिकृत रूप से तमिस अतिक्रमण कर उत्कम बनकर किया कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का उरुआ द्वारा दिनांक 6/5/22 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दाराध के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी वीराविदेसो मनोदरी जार निवासी उरुआ को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उरुआ उपस्थित नदी आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 125 रकबा 0-68 में से 0.02 रकबे किस्म जैफु पोखर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वीरसायक को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 Paise का 50 गुणा 1915 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी उरुआ भू.अ.निरी. दाराध को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मंजी
तहसीलदार (अलवर)
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)